राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2453/2025

कृष्ण कुमार चौधरी

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 23.04.2025
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री दिलीप सिंह कुरका, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, अति.राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (संवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि आलोच्य आदेश दिनांक 22.03.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलार्थी को निलम्बित किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी को इस आधार पर निलम्बित किया गया है कि अपीलार्थी के विरूद्ध फौजदारी प्रकरण दर्ज हुआ है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी के विरूद्ध एफआईआर दर्ज होने मात्र से अपीलार्थी को निलम्बित किये जाने का कोई आधार नहीं है। फौजदारी प्रकरण में अभी अनुसंधान जारी है। अभी तक अपीलार्थी के विरूद्ध एसओजी/पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। निलम्बन आदेश जारी किये जाने से पूर्व अपीलार्थी को कोई नोटिस भी जारी नहीं किया गया है और प्रारम्भिक जांच भी नहीं की गयी है। ऐसे में बिना किसी आधार के विधि विरूद्ध तरीके से अपीलार्थी को निलम्बित किया गया है, जो गलत है।
3. हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्त द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।

4. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि आलोच्य आदेश दिनांक 22.03.2025 एसओजी, राज, जयपुर में प्रकरण संख्या 64/2024 अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120बी. भा.द.स. व धारा 3/6 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों पर रोकथाम) अधिनियम, 1992 में पंजीबद्ध होना माना गया है। निलम्बन आदेश से यह भी प्रकट हाता है कि अपीलार्थी के विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव भी भेजे जाने के लिये लिखा गया है। ऐसे में यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का विचार किया गया है। राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13(1) में यह प्रावधान है कि सक्षम अधिकारी कर्मचारी को उस स्थिति में निलम्बित कर सकता है, जब उसके विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का विचार हो। ऐसे में आलोच्य आदेश उक्त नियम 13 के प्रावधानों के अन्तर्गत विधि पूर्ण तरीके से जारी किया जाना प्रकट होता है।

5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर आलोच्य आदेश में हम कोई विधि विरूद्धता होना नहीं पाते हैं। परिणामस्वरूप यह अपील खारिज की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष